21-5-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से प्रकरण मे उभय पक्ष की मजीद बहस सुनी गई प्रार्थी का अपील प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Sd/-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आ.ए.एस.

अपील संख्या ::– 6/2022

नारू उर्फ नारायण पुत्र देबीलाल जाति खाती निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
अपीलान्ट

बनाम

1– उंकारबाई पुत्री देबीलाल खाती निवासी पाडावास हाल मुकाम पति नाथूलाल सुथार निवासी छजरी तहसील डूंगला जिला चितौडगढ़
2– कुका पुत्र देबीलाल जाति खाती निवासी पाडावास हाल मुकाम अध्यापक निवासी दिल्ली दरवाजे के पास मीरा मंच के सामने चितौडगढ
3– खेमराज पिता देबीलाल खाती निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
4– नन्दूबाई पत्नि दलीचन्द जाति खाती निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
5– भगवतीलाल पुत्र दलीचन्द जाति खाती निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
6– भैरूसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी करताना तहसील निम्बाहेडा
7– लीलाबाई पुत्री देबीलाल खाती निवासी पाउावास हाल पति भैरूलाल सुथार सरण (सालरिया) तह0 गंगरार जिला चितौडगढ़
8– शिवलाल पुत्र दलीचंद्र जाति खाती निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
9– सम्पति पुत्री दलीचंद्र जाति खाती निवासी पाडपावास हाल पति उदा खाती निवासी झालिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
10– सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरी प0स0 बेगूँ जिला चितौडगढ़
रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित ::– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

आदेश दिनांक :–21.05.2024

आदेश अपील नामान्तरण संख्या 190 ग्राम छालियो की बैठक ग्राम पंचायत मण्डावरी तहसील बेगूँ निर्णय दिनांक 05.06.2007

अपीलान्ट की ओर से अपील पत्र अधिवकता श्री विजय प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन अपील पत्र में इस प्रकार से किया कि मौजा छालियो की बैठक पटवार मण्डल मण्डावरी तह0 बेगूँ के सम्वत 2061 से 64 के खातेदार देबी पिता नन्दा खाती की विरासत से अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा जो निामान्तरण संख्या 190 जो निर्णय दिया गया है वह विधि विरूद्ध होकर निष्प्रभावी है व खारिज होने योग्य है।

यह कि मौजा छालियो की बेइक के सम्वत 2061 से 64 के खातेदार देबी पिता नन्दा खाती की विरासत से अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मण्डावरी तह0 बेगूँ द्वारा जो नामान्तरण संख्या 19 खातेदार मृतक देबी पिता नन्दा खाती की विरासत से उनके विधिक उत्तराधिकारीयो के नाम नान्तरण यिका गया जिसमें प्रार्थी नारू उर्फ नारायण का नाम केवल नारायण बोलता हुआ नाम दर्ज कर दया जो कानून व विधि विपरित है क्यो कि प्रार्थी के समस्त राजकी दस्तावेज जिनमें राशनकार्ड, सहकारी किसान कार्ड, बैंक खाता पास बुक, आधारकार्ड , भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम नारू पुत्र देबीलाल अंकित है एवं मौजा छालियो की बैइक के खाता संख्या 66 में अपीलान्ट का नाम नारू पुत्र देबीलाल दर्ज है। इस प्रकार उक्त नामान्तरण प्रारम्भ से ही शुन्य है।

यह कि देबीलाल पिता नन्दा मृतक की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारीयो के नाम नामान्तरण किया गया उसमें अपीलान्ट का बोलता हुआ नाम नारायण दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम नारू है। मृतक देबी पिता नन्दा खाती जी का विरासत का नामान्तरण संख्या 190 में अपीलान्ट का नाम नारायण दर्ज कर दिया गया जिससे उक्त नामान्तरण कानून विरूद्ध होकर खारिज होने योग्य है।

यह कि मृतक देबी पिता नन्दा खाती जी के वारिसान में नारू व नारायण अलग अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति नारू उर्फ नारायण के रूप में है तथा ग्राम पाडावास

प्रार्थी/अपीलान्ट के अलावा इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। इसलिए ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट का नाम केवल नारायण पिता देबी दर्ज कर दिये जाने से उक्त विरासत का नामान्तरकरण अपने आप में शुन्य एवं खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने दिनांक 07.06.2022 को उक्त खाते की नकल जमाबंदी प्राप्त की तो उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई जिसकी नकल दिनांक 16.06.2022 को प्राप्त होने से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत है तथा दिनांक 05.06.2007 से दिनांक 07.06.2022 तक की व्यतीत अवधि को क्षमा किये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त कृषि आराजीयात के खाता संख्या 65 आराजी संख्या 156 से लगायत 162 कुल किता7 रकबा 3.7550 हैक्टर भूमि में अपना नाम नारायण उर्फद नारू पिता देबीलाल दर्ज करवाने का अधिकारी होने से यह अपील नामान्तरण प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम छालियो की बैठक ग्राम पंचायत मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी तह0 बेगूँ के नामान्तरण संख्या 190 निर्णय दिनांक 05.06.2007 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें एवं मृतक देबी पिता नन्दा के उत्तराधिकारी नारायण का नाम नारायण उर्फ नारू दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1,2,3,5,7 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 5 की ओर से जवाब अपील पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रार्थी का नाम नारू उर्फ नाराण पिता देबीलाल खाती किये जाने में हम विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। शेष रेस्पोडेन्ट्स न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

पत्रावली में रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में जवाब प्रस्तुत होने पर अपील पत्र पर अधिवक्ता अपीलान्ट की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया , अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस को अपील पत्र के अनुसार ही करते हुए अपीलान्ट का नाम नामान्तनरण में नारायण उर्फ नारू पिता देबीलाल खाती दर्ज किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन भी किये जाने का निवेदन किया गया। हमारे द्वारा बहस सुने जाने के उपरान्त अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज यथा जमाबंदी सं. 2078 मौजा छालियों की बैठक प0ह0 मण्डावरी खाता संख्या 65 में दर्ज आराजी संख्या 156 से लगायत 162 किता 7 रकबा 3.7550 हैक्टर भूमि दर्ज खातेदारो के नाम का अवलोकन किया गया जिसमें नारायण पुत्र देबीलाल हिस्सा 1/12 दर्ज किया हुआ हैं। जबकि नकल जमाबंदी ग्राम छालियो की बैठक सं02078 खाता संख्या 66 में दर्ज आराजी संख्या 244/16, 246/21 किता–2 कुल रकबा 0.8350 हैक्टर भूमि में नारू पुत्र देबी हिस्सा 1/4 दर्ज किया हुआ है। नकल नामान्तरण संख्या 190 जो कि ग्राम छालियो की बैठक की आराजी किता–7 कुल रकबा 3.7550 हैक्टर भूमि के लिए खोला गया है वह खातेदार देबी पिता नन्दा की मृत्यु होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किये जाने हेतु विरासत का नामान्तरण दर्ज किया है जिसमें उत्तराधिकारियों के लिये दर्शाए गये सजरे में नारायण नाम अंकित किया हुआ है। इसी नामान्तरण के कारण जमाबंदी सम्वत 2061 से 64 में भी नारायण ही नाम अंकित हुआ हैं। जबकि प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड में अपीलान्ट का नाम नारू अंकित है। किसान कार्ड में भी नारूलाल पिता देबीजी सुथार दर्ज है। आधार कार्ड में भी नारूलाल है। भामाशाह कार्ड व जनआधार में भी नारूलाल सुथार अंकित है। एवं भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड भी नारू पिता देबी के नाम से बनाया हुआ है। ग्राम पंचायत मेघपुरा द्वारा भी एक लिखित प्रमाण पत्र दिया है कि नारू उर्फ नारारयण पिता देबीलाल सुथार प्रार्थी एक ही व्यक्ति है राजस्व रिकोर्ड में भिन्न भिन्न नाम दर्ज हो गये है।

इस प्रकार समस्त दस्तावेज के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलान्ट का दस्तावेजी नाम नारूलाल है जिन्हे नारायण के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार अपील अपीलान्ट की स्वीकार कर अपीलान्ट के नाम को सही किये जाने में न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम छालियो की बैठक ग्राम पंचायत मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी तह0 बेगूँ के नामान्तरण संख्या 190 निर्णय दिनांक 05.06. 2007 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार देबीलाल पिता नन्दा खाती की विरासत से दर्ज किये गये नामान्तरण में उनके विधिक उत्तराधिकारी नारायण पिता देबीलाल खाती का नाम नारूलाल उर्फ नारायण पिता देबीलाल खाती निवासी पाडावास नियमानुसार दर्ज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ
दिनांक ::- 27/5/24

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 273

अपील संख्या 6 / 2022 व अनवान नारू उर्फ नारायण बनाम उँकार बाई व अन्य अपील नामान्तरण संख्या 190 ग्राम छालियो की बैठक ग्राम पंचायत मण्डावरी निर्णिय दिनांक 05.06. 2007 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2024 की प्रति आपको पालनार्थ दी जा रही हैं। आदेश की पालना में नियमानुसार कार्यवाही करें।

उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ